Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – **cgrfalmora@gmail.com**

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–भूपेन्द्र सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 91/2024–25

श्री गंगा सिंह बोहरा
ग्राम डुगरा बोरा
जिला चम्पावत। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड चम्पावत
जिला चम्पावत।

निर्णय

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके संयोजन संख्या CH22373070544 के सापेक्ष विगत में 37 यूनिट का बिल 234 रू0 से बढ़कर 610 यूनिट का बिल रू0 3834 प्राप्त हुआ है। उन्होंने बिल को ठीक करवाने के लिए निवेदन किया है।
प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 04 दिनांक 19.04.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड चम्पावत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 मंच की सुनवाई दिनांक 02.05.2025 को V/C के माध्यम से की गयी, जिसमें उभयपक्ष उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से उपस्थित उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि वादी के बिल में तकनीकी खामियां है जिसे 10 दिन के अन्दर ठीक कर वादी को संशोधित बिल निर्गत कर दिया जाएगा। अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 19.05.025 नियत की गयी थी।

3 मंच की अंतिम सुनवाई दिनांक 19.05.2025 को V/C के माध्यम से की गयी, जिसमें उभयपक्ष उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से उपस्थित उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि वादी के बिल में तकनीकी खामियां थी जिसे संशोधित कर दिया गया है, और अब संशोधित बिल रू0 3834 से संशोधित होकर रू0 1623 बना है जिसे वादी को उपलब्ध करा दिया गया है और वादी ने उक्त पर अपनी संतुष्ठि व्यक्त की है।

19/5/25

परिवाद संख्या – 91/2024–25

आदेश

विभाग द्वारा वादी के बिल को संशोधित कर दिया गया है और अब संशोधित बिल रू0 3834 से संशोधित होकर रू0 1623 बना है, जिसे वादी को उपलब्ध करा दिया गया है और वादी ने उक्त पर अपनी संतुष्ठि व्यक्त की है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 19.05.2025

भूपेन्द्र सिंह बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

19/5/25

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

चामू सिंह गस्याल
न्यायिक सदस्य